राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1932/2024

पंकज कुमार शर्मा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2024
आदेश की दिनांक : 28.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी एल शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग की उस कार्यवाही को चुनौती दे रहा है जिसके तहत प्रत्यर्थी विभाग जिला परिषदों के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के अलावा अन्य प्रकोष्ठ में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदोन्नत करने जा रहे हैं। अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता न्याय की मांग के लिए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष लीगल नोटिस (अनुलग्नक–1) भेजा गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलार्थी एलडीसी के पद पर कार्यरत है तथा प्रारम्भ में उसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था तथा बाद में उसकी सेवाएं जिला परिषद, अलवर में विलय कर दी गई थी। अपीलार्थी अखिल राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत है। अपीलार्थी की शिकायत जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत सभी कर्मचारियों की शिकायतों के समान ही हैं, जो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश की प्रति अनुलग्नक–2 पर है। मंत्रीमण्डल के निर्णय संख्या 246/2012 दिनांक 12.12.2012 के आधार पर जारी आदेश दिनांक 31.12.2012 के अनुसार, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि तत्कालीन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के कर्मचारियों को जिला

परिषद में नियमित किया जाएगा और उनके वेतन और भत्ते दिनांक 01.09.2003 से सुरक्षित रखे गए थे। जिला परिषद में विलय किए गए तत्कालीन डीआरडीए के कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 लागू होंगे। आदेश दिनांक 31.12.2012 की एक प्रति अनुलग्नक–3 पर है। साथ ही उक्त आदेश में यह भी कहा गया था कि जिला परिषद में गठित ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ जारी रहेगा तथा जिला परिषद में विलय किये गये तत्कालीन डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों को जिला परिषद में रिक्त पद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पर पदोन्नत किया जायेगा तथा उनकी वरिष्ठता जिला परिषद में पहले से कार्यरत कर्मचारियों से पृथक रखी जायेगी। जिला परिषद में दो प्रकोष्ठ हैं, एक ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ और दूसरा सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा दिनांक 04.04.2016 (अनुलग्नक–4) को जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्य करना अनिवार्य है, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ की सेवाएं भी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में ली जा सकती हैं। जिला परिषद में डीआरडीए (प्रशासन) के लिए 850 पद स्वीकृत हैं, लेकिन डीआरडीए की योजना दिनांक 01.04.2022 को बंद कर दी गई थी और इस प्रकार आदेश दिनांक 12.04.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृत 850 पदों का वेतन प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण से लिया जाएगा। आदेश दिनांक 02.03.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त स्वीकृत पदों की समीक्षा की गई और 333 अतिरिक्त पदों को जिला परिषद, संभागीय आयुक्त क्षेत्र और गैर संभागीय आयुक्त क्षेत्र के जिला परिषद में विभाजित किया गया और इसे आगे पंचायत प्रकोष्ठ और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में विभाजित किया गया और कुल 333 पदों में से 138 पद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को आवंटित किए गए (संभागीय आयुक्त क्षेत्र के लिए 34, गैर संभागीय आयुक्त क्षेत्र के लिए 164)। जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों, जिनमें डीआरडीए के संविलियन कर्मचारी भी शामिल हैं, को स्थापित स्थिति के अनुसार ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के पदों पर पदोन्नत किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रकोष्ठ के किसी अन्य कर्मचारी को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के संवर्ग में स्वीकृत पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा सकेगा परन्तु जिला परिषद, भरतपुर द्वारा मांगे गए निर्देशों के आधार पर विभाग के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 89(1) के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद में नियुक्त कर्मचारियों को भी आदेश दिनांक 24.04.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में स्वीकृत एवं आवंटित पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी और जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत अन्य कर्मचारी, जिनमें डीआरडीए से विलय किए गए कर्मचारी भी शामिल हैं, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में अलग वरिष्ठता पाने के हकदार हैं और वे ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के स्वीकृत पदों पर पदोन्नति पाने के भी हकदार हैं।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के स्वीकृत पदों के विरुद्ध ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के अलावा किसी अन्य कर्मचारी को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए विचार न किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 31.12.2022 (अपील के साथ संलग्न प्रदर्श–3) के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2004 के अनुसार विलय होने वाले डीआरडीए के इन कर्मचारियों की वरिष्ठता जिला परिषद/पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारियों से अलग रखी जावेगी तथा इन कर्मचारियों की पदोन्नति जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रिक्त होने वाले पदों पर की जायेगी। अपीलार्थी अपील में स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कर्मचारियों की वरिष्ठता अलग से बनायी जावेगी एवं आदेश दिनांक 31.12.2012 के परिशिष्ट–अ के अनुसार स्वीकृत पदों पर पदोन्नति की जायेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील इस आशय पर प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के स्वीकृत पदों पर ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के साथ अन्य कार्मिकों को भी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यह आशंका अपीलार्थी को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.04.2024 के आधार पर होना बताया है। इस पत्र का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

> ''अतः उक्तानुसार ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में आवंटित पदों पर पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 (i) में प्राविधित राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जा सकता है।''

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान स्वीकार किया कि जिला परिषद के समस्त कार्मिकों की सेवाएं एक ही सेवा नियम से संचालित होती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कर्मचारियों की वरिष्ठता अलग से बनाई जायेगी और आदेश दिनांक

31.12.2012 (अनुलग्नक–3) के अनुसार ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के स्वीकृत पदों पर ही पदोन्नति की जायेगी। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग ने निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील पंचायतीराज संस्थाओं जिला परिषद्/पंचायत समिति में स्वीकृत ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के पदों के विरूद्ध अन्य कार्मिकों को पदोन्नति दिए जाने पर दी गई है, जो आदेश दिनांक 13.10.2024 के अनुसार संभव नहीं है। आदेश दिनांक 13.10.2024, जो मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसरण में अतः अपील बिना किसी हेतुक और आधार के प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपील के साथ आदेश दिनांक 31.12.2012 के बिन्दु संख्या 03 निम्नानुसार है:–

> ''(iii) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2004 के अनुसार विलय होने वाले अवसायित डीआरडीए के इन कर्मचारियों की वरिष्ठता जिला परिषद में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों से अलग रखी जावेगी तथा इन कर्मचारियों की पदोन्नति जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रिक्त/रिक्त होने वाले पदो पर की जावेगी।''

उक्त से स्पष्ट है कि डीआरडी के कर्मचारियों की पृथक से वरिष्ठता संधारित करने और जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति किए जाने की व्यवस्था की गई है यह आदेश आज तक यथावत है। साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत पत्र दिनांक 04.04.2016 में भी निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए है:–

''इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों को केवल जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) में ही पदस्थापित रखें एवं इनका सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ में स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जावे। आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के रिक्त पदों पर ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ के कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं।''

इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कार्यरत कर्मचारियों को अन्य प्रकोष्ठ में स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं करने के निर्देश किए गए है, इनकी पदोन्नति ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के रिक्त पदों पर करने के निर्देश यथावत है। अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि यह अपील किस आधार पर प्रस्तुत की गई है क्योंकि आदेश दिनांक 31.12.2012 एवं 4 अप्रेल 2016 वर्तमान में प्रभावी है। जिसमें ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को अन्य प्रकोष्ठ में स्थानान्तरण नहीं करने साथ ही इन कर्मचारियों को पृथक से वरिष्ठता संधारित करने और पदोन्नति ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के रिक्त पदों पर करने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में

यह भी निवेदन किया गया है कि ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की पृथक से वरिष्ठता में संधारण और पदोन्नति स्वीकृत पदों पर ही की जायेगी।

उक्तानुसार हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलार्थी ने बिना किसी हेतुक और कारण के अपील प्रस्तुत की है और इसमें किसी भी आदेश विशेष को चुनौती नहीं दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी 1000 रुपये की कोस्ट पर खारिज की जाती है। साथ ही अपीलार्थी को निर्देश दिए जाते है कि उक्त 1000 रुपये की कोस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाकर रसीद अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य